सत्यमेव जयते

Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
Government of India

NATIONAL SC-ST HUB
Safalta ki pehchaan

नेशनल एससी-एसटी हब

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
भारत सरकार

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अक्टूबर 2016 में नेशनल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) का शुभारंभ किया। यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के अंतर्गत एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम एससी-एसटी समुदाय के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा सार्वजनिक खरीद में एससी-एसटी स्वामित्व को एमएसई की प्रभावी भागीदारी को समक्ष बनाने का प्रयास है।

हब के कई उद्देश्य हैं, इसका प्राथमिक उद्देश्य एससी-एसटी उद्यमियों द्वारा पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट में भागीदारी बढ़ाया जाना है। जिससे लोक प्रापण नीति (पीपीपी), एमएसई आदेश 2012 के अधि देश के अनुसार केन्द्र सरकार, सरकारी विभागों एवं सीपीएसई द्वारा एससी-एसटी स्वामित्व की एमएसई से माल एवं सेवाओं की 4 प्रतिशत वार्षिक खरीद सुनिश्चित की जा सके। हब के अंतर्गत आरंभ की गई विभिन्न पहलों के परिणामस्वरूप एससी-एसटी एमएसई से खरीद के प्रतिशत में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जिसे नीचे देखा जा सकता है।

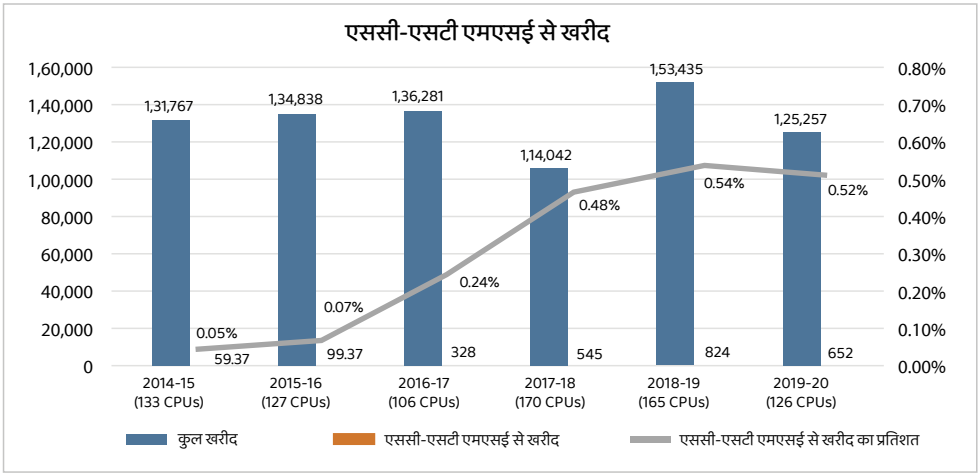

हब द्वारा की गई पहलें

क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास

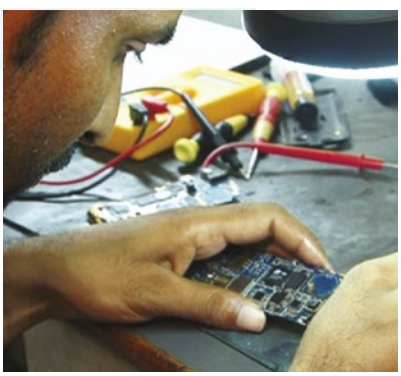

एससी-एसटी एमएसई में तकनीकी दक्षता एवं व्यवसाय कौशल के विकास के लिए हब वर्तमान में उद्योग एवं शैक्षणिक क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ विभिन्न उद्योग निर्दिष्ट प्रशिक्षण, व्यवसाय अनुकूलन कार्यक्रम, उद्यमिता एवं प्रबंधन विकास कार्यक्रम, ई-टेंडरिंग, जीईएम आदि पर ज्ञान सत्र आदि का आयोजन कर रहा है। शामिल किये गये कुछ पाठ्यक्रमों में डिजिटल मार्केटिंग, सीएनसी ऑपरेटर, मोबाइल रिपेयरिंग, सिक्योरिटी अलार्म एवं स्मॉक डिटेक्टर, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग, टूल डिजाइन, वेब डिजाइनिंग आदि हैं। हब के अधीन वर्तमान में 36 प्रशिक्षण संस्थान 23 राज्यों में 78 स्थानों पर 65 प्रशिक्षण केन्दों में 1053 बैच के माध्यम से 137 विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। मार्च 2020 तक एनएसएसएच के अंतर्गत 21,000 से अधिक एससी-एसटी उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

नेशनल एससी-एसटी हब कार्यालय (एनएसएसएचओ)

एससी-एसटी एमएसई को उनके पूरे जीवन-चक्र में पूर्ण प्रायोगिक एवं परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए आगरा, लखनऊ, पटना, गुवाहाटी, कोलकाता, पुणे, बेंगलुरू, चेन्नई, रांची, भुनवेश्वर, मुम्बई, लुधियाना, हैदराबाद, सूरत एवं शिलाँग सहित 15 स्थानों पर एनएसएसएच कार्यालय खोले गये हैं। यह कार्यालय एससी-एसटी एमएसई को विभिन्न क्षेत्रों जैसे-वेन्डर इम्पैनलमेंट, निविदा दाखिल करने, क्षमता निर्माण, बाजार एवं वित्तीय संपर्क, विभिन्न सरकारी योजनाओं पर जागरूकता प्रदान करने में एंड-टू-एंड व्यावसायिक सहायता देने के लिए उत्तरदायी हैं।

NATIONAL SC·ST HUB
Safalta ki pehchaan

वेन्डर विकास कार्यक्रम (वीडीपी)

हब पूरे देश में विभिन्न वेन्डर विकास कार्यक्रमों के आयोजन में पूर्ण सुविधा एवं सहायता प्रदान कर रहा है। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य एससी-एसटी समुदाय और क्रेता सीपीएसई से सक्षम वेंडरों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। इन कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागी एससी-एसटी एमएसई यूनिटों को वेन्डर पंजीकरण प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण, सरकारी विभाग/सीपीएसई द्वारा खरीदी जा रही वस्तुओं और प्रत्येक सीपीएसई के योग्यता मापदंड एवं गुणवत्ता की अपेक्षाओं के संदर्भ में उन्हें पूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है।

राज्य सम्मेलन

हब ने सीपीएसई, उद्योग संघों, एससी-एसटी उद्यमियों और राज्य सरकारों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने और एससी-एसटी उद्यमियों के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति अधिदेश के अंतर्गत निर्धारित दायित्वों को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने के लिए पूरे देश में राज्य सम्मेलन आयोजित किये। इन सम्मलेनों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य एससी-एसटी एमएसई को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में स्टेकहोल्डरों के बीच जागरूकता सृजित करना और सार्वजनिक खरीद में एससी-एसटी एमएसई की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सामंजस्य स्थापित करना है। हब द्वारा पूरे देश में 47 से अधिक राज्य सम्मेलन आयोजित किये गये।

एससी-एसटी उद्यमियों के लिए योजनाएं

हब ने एससी-एसटी जनसंख्या के बीच "उद्यम संस्कृति" को बढ़ावा देने और मौजूदा उद्यमिता के क्षमता निर्माण के लिए एससी-एसटी एमएसई के लिए अधिकतम वित्तीय लाभ के विस्तार के उद्देश्य के साथ विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की हैं। प्रत्येक योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	योजनाएं	मुख्य विशेषताएं
1.	**एकल बिन्दू पंजीकरण योजना (एसपीआरएस) के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए सबसिडी**	निम्नलिखित कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और उनके उत्पादों के विपणन में एससी-एसटी उद्यमों को विपणन सहायता प्रदान करना। • अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, विदेशी सेमिनारों में दौरे का आयोजन करना। • अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, विदेशी व्यापार मेलों में भागीदारी। • घरेलू प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों में दौरे का आयोजन करना। • वेन्डर विकास कार्यक्रम आयोजित करना। • कार्यशालाओं, सेमिनारों, जागरूकता अभियानों का आयोजन करना।
2.	**एकल बिन्दू पंजीकरण योजना (एसपीआरएस) के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए सबसिडी**	एकल बिन्दू पंजीकरण योजना के अंतर्गत एनएसआईसी के साथ पंजीकरण के इच्छुक एससी-एसटी एमएसई को केवल टोकन राशि रु. 100/- प्लस लागू जीएसटी का भुगतान करना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र यूनिट द्वारा संस्थापित उत्पादन/सेवा क्षमताओं को वर्णित करता है और यह भारत सरकार के क्रेता संगठनों के बीच व्यापक रूप से स्वीकार्य है। ऐसे पंजीकृत एससी-एसटी एमएसई का डेटा नियमित तौर पर विभिन्न सीपीएसई के साथ शेयर किया जाता है उपरोक्त योजना के अंतर्गत पंजीकृत यूनिट निम्नलिखित लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं: • निःशुल्क निविदा जारी करने के लिए • धरोहर जमा राशि (ईएमडी) के भुगतान से छूट • निविदाओं में, एल 1+15 प्रतिषत मूल्य बैन्ड के भीतर मूल्य दर्षाते हुए प्रतिभागी • एमएसई को एल 1 के उनके मूल्य को नीचे लाकर अपेक्षित 20 प्रतिषत तक एक भाग की आपूर्ति की भी अनुभूति दी जायेगी जहां एल 1 एक गैर एमएसई है।

NATIONAL SC·ST HUB
Safalta ki pehchaan

क्र.सं.	योजनाएं	मुख्य विशेषताएं
3.	**बैंक ऋण प्रोसेसिंग शुल्क प्रतिपूर्ति योजना**	व्यवसाय ऋण लेने में एससी-एसटी एमएसई द्वारा भुगतान किये जाने वाले बैंक ऋण प्रोसेसिंग शुल्क पर 50 प्रतिशत या रु. 1,00,000/- (जीएसटी एवं अन्य लागू करों को छोड़कर), जो भी कम हो, का भुगतान।
4.	**बैंक गारंटी प्रभार प्रतिपूर्ति योजना**	संबंधित बैंक को एससी-एसटी एमएसई द्वारा भुगतान किये जाने वाले कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी प्रभार पर 50 प्रतिशत या रु. 1,00,000/- (जीएसटी एवं अन्य लागू करों को छोड़कर), जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति।
5.	**परीक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना**	एससी-एसटी एमएसई द्वारा एक वित्तीय वर्ष में देश के एनएबीएल और/या बीआईएस प्रमाणित प्रयोगशालाओं से परीक्षण सेवाओं का लाभ उठाने पर प्रभारित परीक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत या रु. 1,00,000/- (जीएसटी एवं अन्य लागू करों को छोड़कर), जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति।
6.	**निर्यात प्रोत्साहन परिषद सदस्यता शुल्क अदायगी योजना**	विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन परिषदों (ईपीसी) द्वारा प्रभारित सदस्यता शुल्क पर एसटी-एसटी एमएसई को एक वित्तीय वर्ष में 50 प्रतिशत या रु. 20,000/- (जीएसटी एवं अन्य लागू करों को छोड़कर), जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति।
7.	**क्षमता पाठ्यक्रम शुल्क पर प्रतिपूर्ति योजना**	एक वित्तीय वर्ष में प्रबंधन के क्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पहचान प्राप्त शीर्ष 50 संस्थानों से 2 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (30 दिन अवधि तक) में शामिल होने के लिए 90 प्रतिशत, रु. 1,00,000/- तक की प्रतिपूर्ति।
8.	**बी2बी पोर्टल के सदस्यता शुल्क की प्रतिपूर्ति**	पंजीकरण के पहले वर्ष के लिए सभी एससी-एसटी उद्यमियों को बी2बी पोर्टल (www.msmemart.com) की सदस्यता शुल्क पर 100 प्रतिशत सब्सिडी विस्तृत विवरणों के लिए कृपया (www.msmemart.com) देखें।

उपरोक्त स्कीमों के संबंध में विस्तृत विवरण के लिए कृपया: www.scsthub.in देखें।

राज्य सरकारों के साथ सहभागिता

एससी-एसटी एमएसई के लाभों के प्रसार में राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उद्यमिता का जमीनी स्तर तक प्रसार हो, उसके लिए वेन्डर विकास बैठकों, कौशल विकास कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों, कार्यशालाओं, जागरूकता अभियानों आदि सहित इन्टरवेंशन के निष्पादन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सहभागिता की गई है।

कॉल सेंटर

हब के भाग के रूप में, एनएसएसएच योजनाओं से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक कॉल सेंटर सुविधा स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त, कॉल सेंटर, सीपीएसई आउटरीच कार्यकलापों एवं सीपीएसई एवं संभावित वेन्डरों आदि के बीच उत्पाद सामंजस्य, एससी-एसटी डाटा के सत्यापन, नेशनल एससी-एसटी हब की सभी नई पहलों पर जानकारी प्रदान करने में सहायता की जाती है।

स्कीम एवं इसके लाभों की अधिक जानकारी के लिए कृपया सम्पर्क करें:

नेशनल एससी-एसटी हब (एनएसएसएच)

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (एनएसआईसी)
प्रथम तल, एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली-110020

फोन न. : 011-26926275 (एक्स्टेन्शन 140,259,400)
टोल फ्री नं. : 1800-11-1954
ईमेल आयडी : nsshsupport@nsic.co.in, scsthub@nsic.co.in
वेबसाइट : www.scsthub.in

NATIONAL SC·ST HUB
Safalta ki pehchaan